

## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील

बनारस आवेदन क्र०

181970030278688

प्रमाणपत्र क्र०

672183113551

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री माता का नाम

निवासी ग्राम

तहसील जिला

क्. पूजा यादव

श्री रविन्द्र यादव श्रीमती -

,नाथूपुर अल्लनपुर

बनारस बनारस



जारी दिनांक: 15/12/2018

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>अहीर</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. पूजा यादव पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-॥ , दिनाँक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से



जारी कर्ता केन्द्र: सीमा मौर्या सहज जेने सेद्रो केंद्र पद: सीमा मौर्या , केन्द्र प्रभिरि स्थान : 3,तरना ,बनार मञ्जूनीरस

दिनॉक: 17/12/2018

हस्ताक्षर एंव मुहर

MANOJ Digitally Signed by MANOJ KUMAR PATHAK O=REVENUE, S=Uttar pradesh PATHAK

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित बनारस,बनारस दिनॉक:15/12/2018

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताबारित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।